पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

खण्ड–XXX अंक–4 28 फरवरी, 2025

मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहां जेहिं पाई।।
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ।।

उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति (ऐश्वर्य) और भलाई पायी है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है।

–श्रीरामचरितमानस/3

स्वागत

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/370871 दिनांक 18.02.2025 के अनुसार **प्रो. इवन मैथ्यू एगुइरे** ने 11.02.2025 से संस्थान के भौतिकी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल-13ए1 में सहायक प्रोफेसर, ग्रेड-I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/372885 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार **प्रो. सनी कुमार** ने 20.02.2025 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल-12 में सहायक प्रोफेसर, ग्रेड-I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. सनी कुमार को उनकी नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) संस्थान द्वारा प्रायोजित "युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप" भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग-II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/ Estt.-2/2025/356154 दिनांक 07.01.2025 के अनुसार **श्री राणा किंकर सिंह** ने 02.01.2025 से संस्थान में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल–5 में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से विद्युत इंजीनियरी विभाग में नियुक्त किया गया है।

- स्थापना अनुभाग-II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/ Estt.-2/2025/373936 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार **श्री चन्द्र भानू** ने 03.02.2025 से संस्थान में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल–5 में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से रसायन विज्ञान विभाग में नियुक्त किया गया है।

कार्यकाल में विस्तार

कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त अधिसूचना सं. IITD/AREG/4(3)/2025/373775 दिनांक 27.02.2025 के अनुसार भारती दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध स्कूल के अध्यक्ष के रूप में **प्रो. हुजूर सरन** (कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग) का कार्यकाल 01.03.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

पुनर्नियुक्ति

प्रो. शिव दत्त जोशी (विद्युत इंजीनियरी विभाग) को संस्थान संविधि के पैरा 13(2) के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र के अंत तक अर्थात् 30.06.2025 तक के लिए विद्युत इंजीनियरी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

भा.प्रौ.सं. दिल्ली संविधि खंड 9(16) में संशोधन

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग (टी.एस.–I) के अवर सचिव के पत्र एफ.सं. 34–2/2024–टी.एस.-I दिनांक 28.10.2024 राष्ट्रपति सचिवालय के आईडी नंबर CIII-08029/2/2020-CA-III दिनांक 11.10.2024 के अनुसरण में कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/AREG/2025/373152 दिनांक 25.02.2025 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 (1961 का 59) की धारा 27 की उप–धारा (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, भा.प्रौ.सं. दिल्ली के संविधि के खंड 9 (16) में निम्नलिखित संशोधन किया हैं:

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष पद में कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से कोई रिक्ति होने की स्थिति में या अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, कुलाध्यक्ष द्वारा नामित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INIs) के अध्यक्षों में से कोई एक, छह महीने की अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति, जो भी पहले हो, के लिए संविधि 7 के अन्तर्गत अध्यक्ष को सौंपे गए किसी या सभी कार्यों का निर्वहन कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के मामले में, कुलाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक बढ़ा सकता है।

सेवानिवृत्तियाँ

संस्थान के निम्नलिखित संकाय/स्टाफ सदस्य अधिवर्षिता की आयु होने पर 28 फरवरी, 2025 को अपराह्न में संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं :–

प्रो. शिव दत्त जोशी, प्रोफेसर, विद्युत इंजीनियरी विभाग

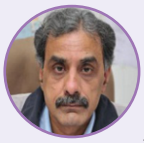

प्रो. शिव दत्त जोशी ने 05 मई, 1989 को संस्थान में लेक्चरर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 28 अक्टूबर, 1991 में आपको सहायक प्रोफेसर, 12 अक्टूबर, 1995 में सह प्रोफेसर एवं 16 मार्च, 2000 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया।

प्रो. एस.डी. जोशी ने 1981 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिलानी, भारत से इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में बी.ई. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की। इसके उपरान्त आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से 1983 और 1988 में क्रमशः संचार और रडार इंजीनियरी में एम.टेक. और पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। आपने 1988 से 1989 तक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली में लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। आप मई, 1989 में आई.आई.टी. दिल्ली के विद्युत इंजीनियरी विभाग में लेक्चरर के रूप में शामिल हुए। आपके पर्यवेक्षण में 31 पीएच.डी. (29 पूरी की और दो ने थीसिस जमा की), एक एम.एस. (आर.) और 200 से अधिक एम.टेक. थीसिस पूर्ण की गई। आपकी शोध रुचियों में सांख्यिकीय सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल रिप्रेजेन्टेशन, मल्टी–स्केल सिग्नल मॉडलिंग और श्रेणी सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए प्रोसेसिंग, सिग्नल रिप्रेजेन्टेशन एवं प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग के लिए तीव्र एल्गोरिदम का विकास शामिल है। आपने सिग्नल अपघटन और प्रसंस्करण विषय पर पूरे भारत में कई आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं। आपको वर्ष 1986 में IEEE एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम/IEEE संचार सोसायटी (AES/COM), इन्डियन चैप्टर मे AES पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको शिक्षण में योगदान के लिए 2010-2011 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा भी शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको 2014 में इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए IES ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भोपाल, भारत द्वारा "इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा में डॉ. सी.वी. रमन उत्कृष्टता अवार्ड" से नवाजा गया।

सदैव अपने शोधकार्य में लगे रहने वाले एवं मृदु स्वभाव के प्रो. शिव दत्त जोशी अपने संकाय सहकर्मियों, विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह (70079), कनिष्ठ मैकेनिक, निर्माण संगठन

श्री नरेन्द्र सिंह ने 31 मार्च, 1989 को संस्थान ग्रुप 'डी' हेल्पर के रूप में 800-1150/-रु. के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण किया था। 01 अप्रैल, 1997 को 3050-4590/-रु. के वेतनमान में पदोन्नत किया गया। 01.09.2008 में एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत आपको 5200-20200/- रु. (ग्रेड वेतन 2000/- रु.) में उन्नयन दिया गया। 04 अप्रैल, 2016 को आपको ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में कनिष्ठ मैकेनिक के रूप में पदोन्नत किया गया तथा 01 सितम्बर, 2018 को एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत आपको वेतन लेवल-4 में उन्नयन दिया गया। विनम्र स्वभाव एवं मिलनसार व्यक्तित्व के श्री नरेन्द्र सिंह एक मेहनती एवं कर्मठ कनिष्ठ मैकेनिक रहे हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

प्रो. वी. रामगोपाल राव, प्रोफेसर, विद्युत इंजीनियरी विभाग

प्रो. वी. रामगोपाल राव ने 13 अप्रैल, 2016 को संस्थान में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 01 दिसम्बर, 2021 में आपने संस्थान के विद्युत इंजीनियरी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पदभार ग्रहण किया।

प्रो. राव ने 15 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया था जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 28 फरवरी, 2025 को स्वीकृत कर दिया है। अतः प्रो. राव को 28 फरवरी, 2025 को संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

सौम्य स्वभाव के प्रो. रामगोपाल राव अपने संकाय सहकर्मियों, विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं।

संस्थान समुदाय उपरोक्त संकाय/स्टाफ सदस्यों को भावभीनी विदाई देते हुए उनके व उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि एवं शांतिमय जीवन की कामना करता है।

त्यागपत्र स्वीकृत

स्थापना अनुभाग–1 से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2025/370850 दिनांक 18.02.2025 के अनुसार **डॉ. पवन कुमार,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (इलेक्ट्रॉनिकी में अनुप्रयुक्त अनुसंधान केन्द्र) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 21.02.2025 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. पवन कुमार को 21.02.2025 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

1 सामान्य आदेश/General Orders
2 संकल्प/Resolution
3 परिपत्र/Circulars
4 नियम/Rules
5 प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन/ Administrative or other reports
6 प्रेस विज्ञप्तियाँ/Press Release/Communiques
7 संविदाएँ/Contracts
8 करार/Agreements
9 अनुज्ञप्तियाँ/Licences
10 निविदा प्रारुप/Tender Forms
11 अनुज्ञा पत्र/Permits
12 निविदा सूचनाएँ/Tender Notices
13 अधिसूचनाएँ/Notifications
14 संसद के समक्ष रखे जाने वाले/प्रतिवेदन तथा कागज पत्र/ Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

(I) **क्षेत्र क**–बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

(ii) **क्षेत्र ख**–गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

(iii) **क्षेत्र ग**–खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

राजभाषा नियम, 1976 नियम 5

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिंदी में दिए जाएं (अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की पावती हिंदी में भेजे)। अतः सभी विभाग/केन्द्र/अनुभाग/प्रकोष्ठ/एकक आदि से अनुरोध है कि वे हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दें और उनका रिकॉर्ड भी रखें ताकि मंत्रालयों द्वारा किये जाने वाले भौतिक निरीक्षण के दौरान इन्हें पेश किया जा सके।

भा.प्रौ.सं. अस्पताल में मनोचिकित्सक की नियुक्ति

अध्यक्ष, अस्पताल सेवाएं से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आईआईटी दिल्ली समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नए मनोचिकित्सक की नियुक्ति की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

डॉक्टर का नाम	विजिट का दिन	समय
डॉ. नितीश झुंथरा विशेषज्ञ सलाहकार मनोचिकित्सा (कमरा संख्या 21 नई ओ.पी.डी. में)	सोमवार से शुक्रवार	सुबह 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
डॉ. रोहित वर्मा एडिशॅनल प्रोफेसर, मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली (कमरा संख्या 29/30 नई ओ.पी.डी. में)	मंगलवार	शाम 5.30 बजे से सायं 7.30 बजे तक
डॉ. गजानन गोविंदराव शेलके, सलाहकार मनोचिकित्सक और चिकित्सा VIMHANS अस्पताल में प्रभारी अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक (कमरा संख्या 26 नई ओ.पी.डी. में)	बुधवार और शुक्रवार	दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

परामर्श सेवाएँ कमरा संख्या 22 नई ओ.पी.डी. में भी उपलब्ध हैं

सुश्री जया, परामर्शदाता	सोमवार, बुधवार और शुक्रवार	दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक
सुश्री चांदनी, परामर्शदाता	मंगलवार	दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक
सुश्री देवयानी, परामर्शदाता	गुरुवार	दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

प्रशासनिक अधिकारियों के दैनिक सरकारी कामकाज में सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली संक्षिप्त आदेशात्मक टिप्पणियाँ
(Brief important notings being used by Administrative Officers in their daily routine official work)

अंग्रेजी	हिन्दी
Action may be taken as proposed.	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए
All concerned should note carefully.	सभी संबंधित व्यक्ति इसे ध्यान से नोट कर लें।
Application is rejected.	प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया जाता है।
Approved.	अनुमोदित।
Approved as a very special case. This should not, however be Quoted as a precedent.	एक विशेष मामला मानते हुए अनुमोदित किया जाता है, किन्तु आगे उदाहरण के रूप में इसका उल्लेख न किया जाए।
Wait further report.	आगे और विवरण की प्रतीक्षा कीजिए।
Await reply.	उत्तर की प्रतीक्षा करें।
Do the needful.	आवश्यक कार्रवाई करें।
Draft is concurred in.	प्रारूप पर सहमति दी जा रही है।
Draft may not be issued.	अब प्रारूप जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
Draft reply on the lines suggested above may be Put up.	उपरोक्त सुझावों के आधार पर उत्तर का मसौदा तैयार कीजिए।
Enquire into the case and report early	मामले की जांच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें।
Enquiry be completed and its report submitted at an Early date	जांच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए।
Explanation may be called for.	स्पष्टीकरण मांगा जाए।
Fix a date for meeting.	बैठक के लिए तारीख नियत करें।
Give top priority to this work.	इस कार्य को परम अग्रता दें।
I agree.	मैं सहमत हूं।

अंग्रेजी	हिन्दी
I agree with 'A' above.	मैं उपर्युक्त 'क' से सहमत हूं।
I disagree.	मैं सहमत नहीं हूं।
I fully agree with office note	मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं।
Inform accordingly.	तदनुसार सूचित किया जाए।
Issue as amended.	यथासंशोधित जारी किया जाए।
Issue reminder urgently.	तुरन्त अनुस्मारक भेजिए।
Issue today.	आज ही भेज दिया जाए।
Issue warning.	चेतावनी दी जाए।
Kindly see it for approval.	कृपया इसे अनुमोदन के लिए देखें।
May file.	फाईल कर दिया जाए।
No assurance in the matter can be given at this stage.	इस मामले में इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
Order may be issued.	आदेश जारी कर दिया जाए।
Office may note it carefully.	कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर लें।
Permitted.	अनुमति दी जाती है।
Please circulate and file.	कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दें।
Please discuss.	आकर चर्चा कर लें।
Please fleg the relevent papers.	कृपया संगत कागजातों पर पर्चियाँ लगा दें।
Please issue necessary notification.	कृपया आवश्यक अधिसूचना जारी करें।
Please make a special note of this Decision.	कृपया इस निर्णय को विशेष रूप से नोट करे।
Please prepare a precis of the case.	कृपया मामले की संक्षेपिका तैयार करें।

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 7144

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com